रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062020-219996
CG-DL-E-18062020-219996

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1714] नई दिल्ली, ब्रहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942
No. 1714] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2020

का.आ. 1930(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1034 (अ.), तारीख 09 मार्च, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में, —

(क) पैरा 3 में, उप-पैरा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : —

"(3) ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप का स्टार स्तर 01 जुलाई, 2018 से शुरू होने वाली अवधि और 30 जून, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 0100 घंटे के प्रचालन में ल्यूमेन प्रति वॉट (एलएम / डब्ल्यू) में रेटेड ल्यूमिनस प्रभावकारिता के आधार पर अवधारित किया जाएगा, जिसे सारणी में विनिर्दिष्ट स्टार रेटिंग बैंड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

सारणी

(1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2023 तक विधिमान्य)

स्टार स्तर	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार

0100 घंटे के प्रचालन पर ल्यूमेन प्रति वॉट	≥65 और <75	≥75 और <85	≥85 और <95	≥ 95 और <110	≥110

(4) ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंपों की स्टार स्तर योजना की समीक्षा, उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले की जाएगी और उसके बाद, हर तीन वर्ष में स्टार स्तर योजना की समीक्षा की जाएगी।";

(ख) पैरा 4 में, "(4) से प्रभावी" से प्रारंभ होने वाले तथा आईएस 2418 (भाग-II) में यथाविनिर्दिष्ट" पर समाप्त होने वाले हिस्से के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् : -

"(5) इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने से, प्रत्येक ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप प्रचालन के 2000 घंटों में और घोषित जीवन के 70 प्रतिशत पर, 0100 घंटे की एजिंग की अवधि सहित, आईएस 2418 (भाग II) में यथाविनिर्दिष्ट किए गए संगत लैम्प डेटा शीट में दर्शाया गया मूल्य ल्युमेन के मेंटेनेंस से कम नहीं होना चाहिए:

परंतु 0100 घंटे और 2000 घंटे के प्रचालन पर परीक्षण रिपोर्ट को आवेदन जमा करने के समय प्रस्तुत करना होता है जबकि घोषित जीवन के 70 प्रतिशत पर परीक्षण रिपोर्ट को अनुमोदन की तारीख से 12 माह की अवधि के अंदर जमा कर सकते हैं, इसमें विफल रहने पर दिया गया अनुमोदन वापस ले लिया जाएगा।"

(ग) उपाबंध 'क' के, पैरा 2 के खंड (viii) में , उप-खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) रेटेड जीवन के 70 प्रतिशत पर परीक्षण किए गए नमूनों के ल्युमेन / वॉट निम्नानुसार है:

(1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2023 तक विधिमान्य)

क्र. सं.	वॉट क्षमता	ल्युमेन	ल्युमेन / वॉट
1.			
2.			
......			."

[फा. सं. 10/7/2019 -ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में का. आ. 1034 (अ) तारीख 9 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF POWER

Notification

New Delhi, the 9th June, 2020.

S.O. 1930(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 1034 (E), dated the 9th March, 2018, namely:-

In the said notification,-

(A) in paragraph 3, for sub-paragraph (3) and (4), the following shall be substituted, namely:-

"(3) The star level of the tubular fluorescent lamp shall be determined on the basis of rated luminous efficacy in lumens per Watt (lm/W) at 0100 hours of operation for the period starting from the 1st July, 2018 and ending on the 30th June, 2023, in accordance with the star rating bands as specified in the following Table.

Table
(Valid from 1st July, 2018 to 30th June, 2023)

Star level	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
	1star	2 star	3 star	4 star	5 star

lumens per Watt at 0100 hrs of operation	≥65and<75	≥75and <85	≥85and<95	≥ 95 and<110	≥110

(4) The star level plan of tubular fluorescent lamps shall be reviewed before the expiry of the period specified in the Tableprovided in sub-paragraph (3) and thereafter, the star level plan shall be reviewed every three years.";

(B) in paragraph 4, for the portion beginning with "(4) with effect from" and ending with "as specified in IS 2418 (Part II)", the following shall be substituted, namely:-

"(5) With effect from coming into force of this notification, every tubular fluorescent lamp at 2000 hours of operation and at 70 per cent. of declared life, including the ageing period of 0100 hours, shall not have lumen maintenance less than the value indicated in the relevant lamp data sheet as specified in IS 2418 (Part II) :

Provided that the test report at 0100 hours and at 2000 hours of operation shall be submitted at the time of submitting application, while the test report at 70 per cent. of declared life is to besubmitted within a period of twelve months from the date of grant of approval, failing which the approval granted shall be withdrawn.";

(C) in Annexure A, in paragraph 2, in clause (viii), for sub-clause (c), the following shall be substituted, namely:-

"(c) The lumens/Watt of the samples tested at 70 per cent. of the rated life is as follows:

(Valid from 1st July, 2018 to 30th June, 2023)

Sr.No.	Wattage	Lumens	lumens/Watt
1.			
2.			
......			.".

[F.No.10/7/2019-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1034 (E), dated the 9th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.18 20:37:49 +05'30'